

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर

— : : कार्यालय आदेश : : —

श्रीमान् शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17 (2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविर/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 एवं संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के मावि/उमावि में समन्वयन से सम्बन्धित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण के 3 वीं में दर्ज कार्मिक (ऐसे शिक्षक/कार्मिक जिनका वेतन प्रारम्भिक शिक्षा/पंचायती राज से आहरित हो रहा है।) का उरी विद्यालय में रिक्त पद पर समायोजन उपरान्त शेष रहे कार्मिकों को निर्देशानुसार कार्जसलिंग के माध्यम से पदस्थापित किया जाना है। उक्त निर्देशों के संदर्भ में दिनांक 04.06.2017 को कार्जसलिंग उपरान्त इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प/सहमति पत्र के आधार पर कार्मिकों को शाला दर्पण में उपलब्ध रिक्तियों पर संलग्न सूचिनुसार अध्यापक III लेवल II विज्ञान/गणित पद पर पदस्थापित किया जाता है। जून 2017 का वेतन इनके नवपदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्र स	नाम कार्मिक	पु/म	सम्बन्धित विद्यालय	समन्वयन प्राप्ति विद्यालय	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	पदस्थापन स्थान
1	रजनी सिडाना	F	राउमावि खैरुवाला	रावाउप्रावि खैरुवाला	28.07.79	31.03.05	रावाउमावि न. 4 श्रीगंगानगर
2	दीपिका रानी गर्ग	F	राउमावि लाधूवाला	रावाउप्रावि लाधूवाला	02.01.80	25.04.05	राउमावि घुनावड श्रीगंगानगर
3	मलकीत सिंह	M	रामावि 8 ईईए	—	19.11.75	25.10.89	राउमावि मोहनपुरा श्रीगंगानगर

संबन्धित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें।

- 1 संबन्धित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित /विचाराधीन हो, कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित, अथवा न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो कार्यमुक्त नहीं करें एवं तत्काल इसकी सूचना इस कार्यालय में दें।
- 2 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा सेवानियम 2011 के तहत समायोजित कार्मिकों को शहरी क्षेत्र के लिए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण न कर इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।

सम्बन्धित कार्मिक को समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक 14.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें एवं इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर सूचना इस कार्यालय को दें।

सं. —
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, श्रीगंगानगर

दिनांक :- 04.06.2017

क्रमांक: जिशिअ/माध्य/गंगा/संस्था-2/3बी समा/2017/2346

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 2 श्रीमान् निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
- 3 श्रीमान् उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर
- 4 श्रीमान् उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर
- 6 संबन्धित वीईईओ, संस्था प्रधान
- 7 संबन्धित कार्मिक
- 8 रक्षित पत्रावली

4/6/2017
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर


- :: कार्यालय आदेश :: -

श्रीमान् शासन उपसचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17 (2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/ संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 एवं संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण के 3 बी में दर्ज कार्मिक (ऐसे शिक्षक/कार्मिक जिनका वेतन प्रारम्भिक शिक्षा/पंचायती राज से आहरित हो रहा है।) का उसी विद्यालय में रिक्त पद पर समायोजन उपरान्त शेष रहे कार्मिकों को निर्देशानुसार काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापित किया जाना है। उक्त निर्देशों के संदर्भ में दिनांक 04.06.2017 को काउंसलिंग उपरान्त इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प/सहमति पत्र के आधार पर एवं असहमत/अनुपस्थित कार्मिकों को शाला दर्पण में उपलब्ध रिक्तियों पर संलग्न सूचिनुसार अध्या III लेवल II (सामाजिक विज्ञान) पद पर पदस्थापित किया जाता है। जून 2017 का वेतन इनके नवपदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें।

- 1 संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित /विचाराधीन हो, कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित, अथवा न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो कार्यमुक्त नहीं करें एवं तत्काल इसकी सूचना इस कार्यालय में दें।
- 2 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा सेवानियम 2011 के तहत समायोजित कार्मिकों को शहरी क्षेत्र के लिए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण न कर इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।


सम्बन्धित कार्मिक को समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक 14.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें एवं इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर सूचना इस कार्यालय को दें।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, श्रीगंगानगर

क्रमांक: जिशिअ/माध्य/गंगा/संस्था-2/3बी समा/2017/ 2341
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक :- 04.06.2017

- 1 श्रीमान शासन उप सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 2 श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
- 3 श्रीमान उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर
- 4 श्रीमान उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर
- 6 संबंधित बीईईओ, /संस्था प्रधान
- 7 संबंधित कार्मिक
- 8 रक्षित पत्रावली


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर

- :: कार्यालय आदेश :: -


श्रीमान् शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17 (2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 एवं संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के मावि/उमावि मे समन्वयन से समन्वित विद्यालय मे अधिशेष शाला दर्पण के 3 बी में दर्ज कार्मिक (ऐसे शिक्षक/कार्मिक जिनका वेतन प्रारम्भिक शिक्षा/पंचायती राज से आहरित हो रहा है।) का उसी विद्यालय मे रिक्त पद पर समायोजन उपरान्त शेष रहे कार्मिको को निर्देशानुसार काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापित किया जाना है। उक्त निर्देशो के संदर्भ में दिनांक 04.06.2017 को काउंसलिंग उपरान्त इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प/सहमति पत्र के आधार पर एवं असहमत/अनुपस्थित कार्मिकों को शाला दर्पण मे उपलब्ध रिक्तियों पर संलग्न सूचिनुसार अध्यापक III लेवल II हिन्दी पद पर पदस्थापित किया जाता है। जून 2017 का वेतन इनके नवपदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्र स	नाम कार्मिक	M/F	समन्वित विद्यालय	समन्वयन प्राशि विद्यालय	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	पदस्थापन स्थान
1	सरोज शर्मा	F	रावाउमावि सूरतगढ	रावाउप्रावि सुरजी देवी सूरतगढ	16.12.57	01.07.86	राउमावि सूरतगढ
2	बिमला नागपाल	F	राउमावि 11 जी छोटी	रामावि 13 जी छोटी	07.07.67	12.12.87	रामावि शुगर मिल, श्रीगंगानगर
3	कमलेश पन्नू	F	राउमावि. रायसिंहनगर	राउप्रावि न0 3 रायसिंहनगर	01.04.78	24.05.05	राउमावि 22 पीएस रायसिंहनगर

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें।

- 1 संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित /विचाराधीन हो, कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित, अथवा न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो कार्यमुक्त नहीं करें एवं तत्काल इसकी सूचना इस कार्यालय में दें।
- 2 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा सेवानियम 2011 के तहत समायोजित कार्मिकों को शहरी क्षेत्र के लिए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण न कर इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।

सम्बन्धित कार्मिक को समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक 14.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें एवं इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण dh सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर सूचना इस कार्यालय को दें।



 जिला शिक्षा अधिकारी
 माध्यमिक, श्रीगंगानगर

क्रमांक: जिशिअ/माध्य/गंगा/संस्था-2/3बी समा/2017/ 2339

दिनांक :- 04.06.2017

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 2 श्रीमान् निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
- 3 श्रीमान् उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर
- 4 श्रीमान् उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर
- 6 संबंधित बीईईओ, संस्था प्रधान
- 7 संबंधित कार्मिक
- 8 रक्षित पत्रावली


 जिला शिक्षा अधिकारी
 माध्यमिक, श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर
3 बी में कार्यरत अध्या 11 ले 2 (सामाजिक विज्ञान) के काउंसलिंग उपरान्त पदस्थापन आदेश

क्रमांक : जिशिअ/माध्य/गंगा/संस्था-2/3बी समा/2017/2341

दिनांक :-04.06.2017

क्र.स	अध्यापक	पुरुष / महिला	समन्वित माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय का नाम	समन्वित प्रा.शि. विद्यालय को नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संगीता शर्मा	F	राउमावि गजसिंहपुर	राउप्रावि बाहेती गजसिंहपुर	18-02-66	20-01-90	राउमावि मोटासर खुनी करनपुर, श्रीगंगानगर
2	निर्मला गोड़	F	राउमावि खरलां	राबाउप्रावि खरलां	13-07-63	28-07-94	राबाउमावि.करनपुर, श्रीगंगानगर
3	उर्मिला	F	राबाउमावि नं. 4 गंगानगर	राबाउप्रावि नं0 4 श्रीगंगानगर	01-08-73	23-02-95	राबाउमावि न. 2 श्रीगंगानगर
4	सुमनलता मोयल	F	रा.बा.उ.मा.वि.सादुलशहर	रा.बा.उ.प्रा.वि. सादुलशहर	03-07-72	11-04-98	राउमावि 8 एचएच, श्रीगंगानगर
5	वनिता शर्मा	F	राबाउमावि रायसिंहनगर	राबाउप्रावि धानकबरती रायसिंहनगर	08-12-72	22-04-98	राउमावि कीकरवाली 60 आरबी रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर
6	ज्योति मक्कड़	F	राउमावि 2 जीबी ए	राप्रावि 51 पीबीएन	10-12-74	28-10-99	रामावि पुआ. सुरतगढ श्रीगंगानगर
7	सुमन बजाज	F	राउमावि खैरुवाला	राबाउप्रावि खैरुवाला	26-07-81	26-04-05	राउमावि न. 9 श्रीगंगानगर
8	अनूपमा सिंघाड़िया	F	राउमावि रामसिंहपुर 59 जीबी	राबाउप्रावि रामसिंहपुर	17-08-76	26-05-05	राउमावि 90 जीबी, अनूपगढ श्रीगंगानगर
9	धर्मपाल दुडाडा	M	राबामावि ढाबा झालार	राप्रावि वार्ड न0 1 ढाबा झालार	02-08-73	09-01-95	राउमावि ख्यालीवाला 11एलएनबी श्रीगंगानगर
10	अमरचन्द सुथार	M	राउमावि निरवाना	राप्रावि निरवाना	20-07-71	28-01-95	राउमावि हरखेवाला, पदमपुर श्रीगंगानगर
11	रणजीत कुमार	F	राबामावि ढाबा झालार	राप्रावि वार्ड न0 1 ढाबा झालार	01-09-76	20-09-99	राउमावि सुरतगढ, श्रीगंगानगर

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर

- :: कार्यालय आदेश :: -

श्रीमान् शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17 (2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 एवं संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण के 3 वीं में दर्ज कार्मिक (ऐसे शिक्षक/कार्मिक जिनका वेतन प्रारम्भिक शिक्षा/पंचायती राज से आहरित हो रहा है।) का उरी विद्यालय में रिक्त पद पर समायोजन उपरान्त शेष रहे कार्मिकों को निर्देशानुसार काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापित किया जाना है। उक्त निर्देशों के संदर्भ में दिनांक 04.06.2017 को काउंसलिंग उपरान्त इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प/सहमति पत्र के आधार पर एवं असाहमत/अनुपस्थित कार्मिकों को शाला दर्पण में उपलब्ध रिक्तियों पर संलग्न सूचिनुसार अध्यापक III लेवल I पद पर पदस्थापित किया जाता है। जून 2017 का वेतन इनके नवपदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्र स	नाम कार्मिक	पु / म	समन्वित विद्यालय	समन्वयन प्राशि विद्यालय	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	पदस्थापन स्थान
1	कमलेश छावडा	F	राउमावि 11 जी छोटी	रामावि 13 जी छोटी	01.12.72	29.12.95	रावाउमावि न. 4 श्रीगंगानगर
2	राजेश कुमार गर्ग	M	राउमावि भादवावाला	राप्रावि 70 आरबी	08.06.66	12.04.97	राउमावि 32 पीएसए (सांवतसर)

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें।

- 1 संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित /विचाराधीन हो, कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित, अथवा न्यायालय रथगन से कार्यरत हो कार्यमुक्त नहीं करें एवं तत्काल इसकी सूचना इस कार्यालय में दें।
- 2 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा सेवानियम 2011 के तहत समायोजित कार्मिकों को शहरी क्षेत्र के लिए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण न कर इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।

सम्बन्धित कार्मिक को समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक 14.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें एवं इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर सूचना इस कार्यालय को दें।

ह/०
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, श्रीगंगानगर

दिनांक :- 04.06.2017

क्रमांक: जिशिअ/माध्य/गंगा/संस्था-2/3बी समा/2017/ 2358

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 3 श्रीमान शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 4 श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
- 5 श्रीमान उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर
- 6 श्रीमान उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु।
- 7 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर
- 8 संबंधित बीईईओ, /संस्था प्रधान
- 9 संबंधित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रायली

ह/०
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, श्रीगंगानगर